न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 600 सन 2021
अनवान :–

1. चेतराम पुत्र भूराराम जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर ।
2. रूपराम पुत्र भूराराम जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. देवीलाल शर्मा पुत्र भूराराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. गौरादेवी पुत्री भूराराम पत्नी गोतम जाति ब्राहम्ण निवासी साहवा तहसील तारानगर
2. रेशमा पुत्री भूराराम पत्नी देवीदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी बुचावास तहसील तारानगर जिला चुरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 351 / 348 की कुल 12.6460है० भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूराराम पुत्र रामनारायण के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि भूराराम पुत्र रामनारायण के नाम से दर्ज है जो वादीगण का पिता है भूराराम पुत्र रामनारायण का देहान्त हो चुका है भूराराम पुत्र रामनारायण के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो भूराराम पुत्र रामनारायण के नाम से दर्ज वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वादीगण की बहने है एवं मृतक भूराराम पुत्र रामनारायण 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ,1 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की भूराराम पुत्र रामनारायण जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पिता भूराराम पुत्र रामनारायण के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है भूराराम पुत्र रामनारायण के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो वाद भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भाईयो वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 351/348 की कुल 12.6460हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूराराम पुत्र रामनारायण के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि भूराराम पुत्र रामनारायण के नाम से दर्ज है जो वादीगण का पिता है भूराराम पुत्र रामनारायण का देहान्त हो चुका है भूराराम पुत्र रामनारायण के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो भूराराम पुत्र रामनारायण के नाम से दर्ज वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वादीगण की बहने है एवं मृतक भूराराम पुत्र रामनारायण 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ,1 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 351/348 की कुल 12.6460हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूराराम पुत्र रामनारायण के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि भूराराम पुत्र रामनारायण के नाम से दर्ज है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का पिता है जिनका देहान्त हो चुका है भूराराम पुत्र रामनारायण के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो वाद भूमि पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर जा चुका है तथा वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में भूराराम पुत्र रामनारायण का मृत्यू प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादीगण के कथनों की पुष्टि होती है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो उनकी बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 351 / 348 की कुल 12.6460हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूराराम पुत्र रामनारायण के नाम सें दर्ज है। का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 / — रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. चेतराम पुत्र भूराराम जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर ।
2. रूपराम पुत्र भूराराम जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. देवीलाल शर्मा पुत्र भूराराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. गौरादेवी पुत्री भूराराम पत्नी गोतम जाति ब्राहम्ण निवासी साहवा तहसील तारानगर
2. रेशमा पुत्री भूराराम पत्नी देवीदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी बुचावास तहसील तारानगर जिला चुरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 600 सन 2021 निर्णय दिनांक– 20/09/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 351/348 की कुल 12.6460हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूराराम पुत्र रामनारायण के नाम सें दर्ज है। का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर